RCMS-2011/00015

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा

पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं 19 / 2011
दायरा तिथि 28.03.2011
तारीख फैसला 26.05.2016

वादी–	बनाम:	प्रतिवादी–
जब्बरसिंह पुत्र सरदारसिंहजी जाति राजपूत निवासी पोमावा तहसील सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

दिनांक 26.05.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादी की पुश्तैनी व नियमन सुदा कब्जा काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 430 रकबा 0.70 हेक्टर किस्म जवाई नहरी–दोयम जिसके पुराने खसरा नं. 340/5 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा के बारे में वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अनुतोष चाहा है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार सुमेरपुर ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि के बारे में दिनांक 08.09.1998 को हुई आवंटन/नियमन कमेटी में तहसीलदार (भूमिधारी) उपस्थित नहीं थे व कॉरम भी पूर्ण नहीं हुआ था जिसके अभाव में आवंटन/नियमन कार्यवाही शून्य हो जाती है और इस आधार पर किसी प्रकार से माग कायम नहीं की जा सकती है। राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज है व वादी इस भूमि पर अवैध अतिक्रमी होने से वादीगण का यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः धारा 91 एल.आर.एक्ट के जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 08.03.2011 व 23.02.2011, नियमन कमेटी का आदेश दिनांक 08.09.1998, धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस, उपखण्ड अधिकारी का पत्र दिनांक 18.01.2011, प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2011 व सिंचाई विभाग का नोटिस इत्यादि प्रतियां का अवलोकन व परीक्षण करने से वाद तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है साथ ही वादग्रस्त भूमि बाबत् दिनांक 08.09.1998 को हुई आवंटन/ नियमन कमेटी में तहसीलदार (भूमिधारी) उपस्थित नहीं होने से कॉरम भी अपूर्ण रहा है जिससे इसके अभाव में आवंटन/नियमन कार्यवाही शून्य हो जाती है और इस आधार पर माग कायमी नहीं हुई है। इसके अलाव वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी का अवैध कब्जा रहा है तथा यह भूमि ग्राम पोमावा में स्थित होने से ग्राम पोमावा सुमेरपुर नगरपालिका की परिधीय सीमा में आता है और इसके तहत वादी वादग्रस्त भूमि बाबत वर्तमान में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं बनता है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों एवं विश्लेषण के आधार पर हमारा विधिक मत है कि वादग्रस्त भूमि बाबत वादी का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 430 रकबा 0.70 हेक्टर किस्म जवाई नहरी–दोयम के बारे में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 26.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली